न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 74 / अपील / 2021 (GCMS No. 2021 / 127)	28.09.2021	27.05.2024

1. नन्दकिशोर आ. भूरा जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
2. रामदेव आ. भूरा जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
3. फूला पत्नी दुर्गा जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
4. काली बाई पत्नी रामरतन जाति भील, नि0 नमाना, तहसील बून्दी
5. राधेश्याम आ. रामरतन जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
6. देवलाल आ. रामरतन जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
7. धनराज उर्फ धन्नालाल आ. रामरतन भील, नि. नमाना, तह. बून्दी
8. फोरू आ. रामरतन जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी
9. फूलचन्द आ. रामरतन जाति भील, निवासी नमाना, तहसील बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. धन्नालाल आ. कल्याणलाल जाति गुर्जर निवासी नमाना तह. बूंदी
2. बदाम बाई पत्नी धन्नालाल जाति गुर्जर निवासी नमाना तह. बूंदी
3. गुरूप्रीत सिंह आ. किमकर सिंह जाति जटसिख निवासी नमाना
4. कालूनाथ आ. भंवरनाथ जाति योगीनाथ निवासी नमाना तह.बून्दी
5. रघुनाथ आ. कालूनाथ जाति योगीनाथ निवासी नमाना तह.बून्दी
6. विमला बाई पत्नी मूलचंद जाति खाती निवासी नमाना तह.बून्दी
7. सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1, 3 लगायत 6 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री अजय मीणा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 3/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2021 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 74/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/127 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली संलग्न की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पोडेंटस ने तहसीलदार बून्दी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2021 को खेत में आने–जाने का आम रास्ता बहाल करवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर मिसल संख्या 3/2021 दर्ज किया जाकर अपीलांटस को पेशी दिनांक 07.07.2021 के लिए नोटिस जारी किया गया। अपीलांटस की ओर से दिनांक 26.07.2021 को जवाब नोटिस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेंटस ने तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में कृषि भूमि एवं रास्ते के बाबत कोई विवरण दर्ज नहीं किया है। धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रार्थना पत्र प्राथमिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए, इस कारण तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था, जो नहीं भिजवाये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रकिया की पालना के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंटस द्वारा धारा 251 आर0टी0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करके पहले सुखाधिकार के आधार पर अपीलांटस के खाते की भूमि में होकर रास्ता होना प्रकट करते हुऐ वाद संख्या 42/2019 बउनवान धन्नालाल बनाम रामदेव न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, बून्दी में प्रस्तुत किया गया। इसवाद में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं. 29/2019 प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त मौके पर कोई रास्ता नहीं होने से दिनांक 18.07.2019 को खारिज कर दिया गया है। अपीलांटस के खेतों के मध्य रेस्पो. के खेतों पर जाने के लिए कोई रास्ता मौके पर न तो पहले था और न ही वर्तमान में है। रेस्पो. के खाते की कृषि भूमि आम सड़क से मिली हुई है, जिस पर होकर किसान शेष खेतों में जा सकते है। व्यवहार न्यायालय द्वारा मौके की कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जिसमें भी मौके पर कोई रास्ता नहीं पाया गया था। इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश से रेस्पो. अनुसूचित जनजाति के अपीलांटस के खेतों में उगी हुई फसल को नष्ट करके रास्ता बनाने पर आमादा है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 6 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम नमाना की खाता संख्या 386 व 524 इत्यादि खातेदारों की कृषि भूमि पर आने जाने का वर्षो से आम रास्ता खसरा संख्या 1960/1693 सहित अन्य खेतों में से बना हुआ था, जिसे खातेदारान् अपीलांटस द्वारा बन्द कर दिया गया है। उक्त आम रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता पीछे वाले खातेदारों के खेतों में जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिस कारण रेस्पो. द्वारा तहसीलदार बून्दी को एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत सुखाधिकार के तहत अपने खेतों तक आने जाने के लिए उक्त आम रास्ते को बहाल करवाने बाबत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर मौका जांच करवाकर मौका रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक/ हल्का पटवारी नमाना एवं ग्राम पंचायत नमाना की रिपोर्ट ली गई, जिसमें कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए उक्त रास्ता पूर्ववर्ती होना पाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत निजी सुखाचार के तहत उक्त पूर्ववर्ती रास्ता खुलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों की पालना करते हुये खातेदारान की सुनवाई की जाकर सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय नहीं होने तक पूर्ववर्ती रास्ता कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए बहाल किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि रघुनाथ पि. कालूनाथ योगी व बदाम बाई पत्नी धन्नालाल गुर्जर निवासी नमाना, तहसील बून्दी द्वारा तहसीलदार बून्दी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2021 को प्रार्थी के खेतों तक आने–जाने का आम रास्ता बहाल करवाने बाबत पेश किया गया। तहसीलदार बून्दी से प्राप्त मूल पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी नमाना एवं भू.अ.निरीक्षक वृत नमाना का मौका पर्चा मय नजरी नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित है कि ग्राम नमाना से कंवरपुरा जाने वाली पक्की सड़क से प्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 1960/1693, 175, 174, 176/1512, 176/1540 व 177 से होकर अपने कृषि कार्य हेतु निकलते करते है, जिसके मौके पर रास्ते के निशान पाये गये एवं ख.सं. 175, 174, 176/1512, 176/1540, 177 में वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है। जिस पर आपस के सभी कृषकों द्वारा अपना कृषि कार्य किया जा रहा है, परन्तु आराजी खसरा नं. 1960/1693 के खातेदारान् द्वारा उक्त रास्ता खातेदारी भूमि में होने के कारण कुछ समय पूर्व बन्द कर दिया गया, जिससे खातेदारान का आना जाना बन्द हो गया है। उक्त प्रार्थीगण अपनी भूमि पर परिवार सहित निवास करते है एवं उक्त प्रार्थीगणों के आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, नमाना के पत्र दिनांक 15.06.2021 के अनुसार आमली–नमाना मेन रोड से कर्मसिंह के खेत तक, पूर्व में आपसी सहमति से ग्रामवासी व कृषक अपनी कृषि भूमि पर जाने हेतु रामदेवा, कालीबाई, फूलाबाई की भूमि में से निकल रहे थे। अब उक्त खातेदारों ने अपनी कृषि भूमि में बने इस रास्ते को बंद कर दिया। 20 वर्षो से यही रास्ते पर आवागमन कर रहे है। अतः कृषकों को आने जाने में समस्या हो रही है, कृषकों की समस्या का समाधान करवाने का श्रम करे। तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण निजी सुखाचार के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत मिसल संख्या 03/2021 दर्ज रजिस्टर कर खसरा नं. 1960/1693 के खातेदारों के खाते की भूमि में से रास्ता होने से उक्त खातेदारों को नोटिस दिया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 04.08.2021 को निर्णय पारित किया गया। जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि रेस्पो. द्वारा जिस रास्ते में होकर आना जाना बताया गया है वहां पर मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कोई रास्ता है, बल्कि वह भूमि अपीलांटस के खाते की भूमि है। वर्तमान में उक्त आराजी बाबत सिविल न्यायाधीश महोदय, बून्दी के यहां वाद जैरकार होने के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त किया जावें। जबकि रेस्पो. के तर्क रहे कि तहसीलदार बून्दी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत जांच कर उक्त जैरकार वाद का निर्णय नहीं होने तक ही पूर्ववर्ती रास्ता कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये है जो उचित होने से अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां अपीलांटस की यह भी आपत्ति है कि धारा 251 के अन्तर्गत रास्ता देने का अधिकार तहसीलदार का न होकर ग्राम पंचायत का है, यद्यपि अधिसूचना दिनांक 04.9.1982 से रास्ते के विवाद का निपटारा करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को भी है किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि तहसीलदार को कानूनन उक्त धारा में जो शक्तियां प्रदत्त कर रखी है वह वापस ले ली हो अर्थात तहसीलदार भी रास्ते के विवाद का निपटारा करने के लिए सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नमाना की नकल जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार खसरा संख्या 1960/1693 एवं 1963/1687 के खातेदारान अपीलांटस है एवं खसरा संख्या 174, 175, 176/1540, 176/1512, 176, 177, 362 के खातेदारान रेस्पोडेंटस है। उक्त नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार अपीलांटस के खाते की भूमि सड़क से लगवा है जबकि रेस्पोडेंटस के खाते की भूमि अपीलांट की भूमि के बाद स्थित है। नजरी नक्शे के अनुसार रेस्पो0 की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सड़क के समीपवर्ती अपीलांटस के खेत में होकर वर्षो पुराना रास्ता होना तथा इस रास्ते को खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अंकित करते हुए रेस्पो0 द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते को सुखाधिकार के तहत खुलवाने हेतु तहसीलदार बून्दी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 251 भू–धारक के विद्यमान मार्ग के अधिकार या अन्य सुखाचार में डाले गये विघ्न को दूर करने के लिए सरल एवं सक्षिप्त उपचार प्रदान करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की जाकर तथा भू.अ.निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय नहीं होने तक पूर्ववर्ती रास्ता कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया है, जिसमें कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश कृषकों के कृषि कार्य को सुचारू बनाये रखने के लिए न्यायहित में प्रतीत होता है तथा सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय से पक्षकारों के हितों का अंतिम निर्धारण होना है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.08.2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी

जिला कलेक्टर, बून्दी